



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229398
CG-DL-E-03092021-229398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943

No. 365]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/91/16-डीडी/121/2016/डीसी/829/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. केतन रामजी भंडेरी (सदस्यता संख्या 125428), 209, राज लक्ष्मी वाणिज्यिक परिसर, साधना भेल के सामने, गोंडल रोड, राजकोट 360 002 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. केतन रामजी भंडेरी (सदस्यता संख्या 125428) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. केतन रामजी भंडेरी (सदस्यता संख्या 125428) का नाम, 3 सितंबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डॉ. जय कुमार बतरा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./230/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/91/16-DD/121/2016/DC/829/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ketan Ramji Bhanderi (Membership No. 125428), 209, Raj Laxmi Commercial Complex, Opp. Sadhana Bhel, Gondal Road, RAJKOT 360 002**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Ketan Ramji Bhanderi (Membership No. 125428) from the Register of Members for a period of 03 (Three) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ketan Ramji Bhanderi (Membership No. 125428), shall stand removed from the Register of Members for a period of 03 (three) months with effect from 3rd September, 2021.**

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./230/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229400
CG-DL-E-03092021-229400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943

No. 363]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/90/15-डीडी/108/2015/डीसी/796/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. एम बालासुब्रमणियन (सदस्यता संख्या 201347), 5, मुनीश्वरन, कोविल स्ट्रीट, अर्बन बैंक के पास, डिंडीगुल, तमिलनाडु 624 001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (5) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. एम बालासुब्रमणियन (सदस्यता संख्या 201347) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. एम बालासुब्रमणियन (सदस्यता संख्या 201347) का नाम, 3 सितंबर, 2021 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डॉ. जय कुमार बतरा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./228/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/90/15-DD/108/2015/DC/796/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. M Balasubramanian (Membership No. 201347), 5, Muneeshwaran, Kovil Street, Near Urban Bank, DINDIGUL (Tamilnadu) 624 001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses ((5) & (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. M Balasubramanian (Membership No. 201347) from the Register of Members for a period of 06 (Six) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. M Balasubramanian (Membership No. 201347)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of **06(six) months with effect from 3rd September, 2021.**

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./228/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229401
CG-DL-E-03092021-229401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]
No. 362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/42/15-डीडी/133/आईएनएफ/15-डीसी/685/17.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. विष्णु कांत गुप्ता (सदस्यता संख्या 405904), 22/181, इंदिरा नगर, लखनऊ 226 016 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7) और दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. विष्णु कांत गुप्ता (सदस्यता संख्या 405904) के नाम को 07 (सात) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 15,000/- रुपए (पन्द्रह हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. विष्णु कांत गुप्ता (सदस्यता संख्या 405904) का नाम, 3 सितंबर, 2021 से 07 (सात) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डॉ. जय कुमार बतरा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./227/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2021

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/42/15-DD/133/INF/15-DC/685/17.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Vishnu Kant Gupta (Membership No. 405904), 22/181, Indira Nagar, LUCKNOW 226 016**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule and Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Vishnu Kant Gupta (Membership No. 405904)** from the Register of Members for a period of 07(seven) days and also imposed a fine of Rs. 15,000/-(Fifteen Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Vishnu Kant Gupta (Membership No. 405904)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 07(seven) days with effect from 3rd September, 2021.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./227/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229397
CG-DL-E-03092021-229397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943

No. 366]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/184/14-डीडी/217/2014/डीसी/778/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. शमित त्रिदाश मजमुदार (सदस्यता संख्या 010595), मैसर्स शमित मजमुदार एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 206, जानकी सेंटर, ऑफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 053 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II की मद (4) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. शमित त्रिदाश मजमुदार (सदस्यता संख्या 010595) के नाम को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. शमित त्रिदाश मजमुदार (सदस्यता संख्या 010595) का नाम, 3 सितंबर, 2021 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डॉ. जय कुमार बतरा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./231/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/184/14-DD/217/2014/DC/778/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Shamit Tridash Majmudar (Membership No. 010595), M/s. Shamit Majmudar Associates, Chartered Accountants, 206, Janki Centre, Off Veera Desai Road, Andheri(West), MUMBAI 400 053**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (4) of Part II of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Shamit Tridash Majmudar (Membership No. 010595) from the Register of Members for a period of 03(three) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Shamit Tridash Majmudar (Membership No. 010595), shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(three) years with effect from 3rd September, 2021.**

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./231/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229399
CG-DL-E-03092021-229399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]
No. 364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-107/2016-डीडी/135/2016-डीसी/988/2019.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. मुरली मनोहर लखोटिया (सदस्यता संख्या 208704), श्री सेंटर, चौथी मंजिल, संख्या 269 (पुराना नंबर 130), मिंट स्ट्रीट, चेन्नई 600 079 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. मुरली मनोहर लखोटिया (सदस्यता संख्या 208704) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. मुरली मनोहर लखोटिया (सदस्यता संख्या 208704) का नाम, 3 सितंबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डॉ. जय कुमार बतरा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./229/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR-107/2016-DD/135/2016-DC/988/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Murali Manohar Lakhotia (Membership No. 208704), Shree Centre, 4th Floor, No.269(Old no. 130), Mint Street, CHENNAI 600 079**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses ((7) & (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Murali Manohar Lakhotia (Membership No. 208704) from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Murali Manohar Lakhotia (Membership No. 208704)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 3rd September, 2021.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./229/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229402
CG-DL-E-03092021-229402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943

No. 367]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/78/14-डीडी/140/2014/डीसी/712/17.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. हृषिकेश विनायक देवधर (सदस्यता संख्या 125625), गोपालकृष्ण, तीसरा तल, बेडेकर अस्पताल के पास, राम मूर्ति क्रॉस रोड, ठाणे 400 602 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (6) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. हृषिकेश विनायक देवधर (सदस्यता संख्या 125625) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. हृषिकेश विनायक देवधर (सदस्यता संख्या 125625) का नाम, 3 सितंबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डॉ. जय कुमार बतरा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./232/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/78/14-DD/140/2014/DC/712/17.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Hrushikesh Vinayak Deodhar (Membership No. 125625), Gopalakrishnan, Third Floor, Near Bedekar Hospital, Ram Murthi Cross Road, THANE 400 602,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (5), (6) & (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Hrushikesh Vinayak Deodhar (Membership No. 125625) from the Register of Members for a period of 01(one) year and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Fifty Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Hrushikesh Vinayak Deodhar (Membership No. 125625), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 3rd September, 2021.**

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./232/2021-22]